UPGK010011072026

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(एस०सी०/एस०टी० एक्ट),गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–540/2026

दीपक वर्मा उम्र लगभग 34 वर्ष पुत्र रामसागर निवासी ग्राम– भौवापार बाजार, थाना–चौरी–चौरा, जनपद गोरखपुर।

......................**आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ....**विपक्षी**

मु०अ०सं०–592/2025
अंतर्गत धारा– 69,115(2),352,351(3) bns व 67A IT Act
तथा 3(1) द, 3(1)ध, व 3(2)v SC/ST Act
थाना–झंगहा, जनपद–गोरखपुर।

दिनांक 25–02–2026

आवेदक/अभियुक्त **दीपक वर्मा** की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न शपथपत्र खूशबू देवी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो लंबित है, न दाखिल है और न ही निस्तारित है।

अधिनियम की धारा–15(ए)(5) एस0सी0/एस0टी0एक्ट के अनुपालन में वादी मुकदमा/पीड़ित पक्ष पर नोटिस का तामीला प्राप्त है, परन्तु वह व्यक्तिगत रुप से उपस्थित नहीं है।

जमानत हेतु अभियोजन कथानक सक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थिनी अन्जू पुत्री स्व० राजाराम ग्राम झंगहा चौराहा थाना झंगहा जनपद गोरखपुर की निवासी हूँ। प्रार्थिनी को दीपक वर्मा पुत्र राम समुझ ग्राम भौवापार थाना चौरा चौरा जनपद गोरखपुर निवासी है जो राजधानी करता है। जिसे दोस्ती कर लिया है। दोस्ती के दौरान ही कुछ दिन पहले मेरा आपत्तिजनक फोटो खिचकर तथा आपत्तिजनक विडियो बनाकर सोसल मिडिया पर वायरल कर दिया। मेरे द्वारा पूछने पर गाली गुप्ता देते हुए मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि जांचकर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी को रंजिशन बिल्कुल ही काल्पनिक

व झूठे तथ्यों के आधार पर लोगों के चढ़ाने पर वादिनी मुकदमा द्वारा थाने पर तहरीर देकर प्रार्थी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। प्रार्थी शादी सुदा व्यक्ति है और प्रार्थी के तीन नाबालिग बच्चे क्रमशः आरोही उम्र लगभग 11 वर्ष, सिद्धि उम्र 8 वर्ष व दिव्यांश उम्र लगभग 6 वर्ष है। प्रार्थी अपने परिवार के पालन–पोषण हेतु झंगहाँ थाने के अन्तर्गत ग्राम–राजधानी चौराहे पर वर्तन और सोने–चाँदी की दुकान चलाता है। प्रार्थी के सोने, चाँदी की दुकान होने के नाते ग्राहक के तौर पर अधिकांश महिलाएं ही आती है और बहुत सारे लोग प्रार्थी से गहना, गुरिया या वर्तन उधार के तौर पर भी ले जाते हैं और बाद में पैसों की व्यवस्था होने पर प्रार्थी की उधारी चुका देते हैं। वादिनी मुकदमा भी प्रार्थी के दुकान से बराबर खरीदारी करती रही है और पुराना ग्राहक होने के नाते वादिनी मुकदमा को उधारी भी देता रहा है। वादिनी मुकदमा प्रार्थी से लगभग 65,000/ (पैंसठ हजार रूपया) के गहने उधार ले गयी थी जिसमें लगभग 10,000/ (दस हजार रूपये) वापस कर दी थी, शेष पैसा देने में हीला हवाली करती थी। प्रार्थी एक दो बार अपना उधारी पैसे की वसूली हेतु वादिनी मुकदमा के घर भी गया था लेकिन वह प्रार्थी की उधारी चुकाने में हिला हवाली करती रही। दिनांक 10.12.2025 को प्रार्थी अपने पैसों की वसूली हेतु वादिनी मुकदमा के झंगहा स्थित रूम पर गया था। जहाँ पर पैसा मॉगने के बाद प्रार्थी का वादिनी मुकदमा से झगड़ा हो गया था और उसी झगड़े में प्रार्थी का मोबाइल वादिनी मुकदमा ने छीन लिया था और लोगों के बीच बचाव करने से मामला शान्त हुआ और प्रार्थी वहाँ से चला गया था। घटना के दूसरे दिन जब प्रार्थी वादिनी मुकदमा से अपना मोबाइल वापस मांगा तो वह पुनः प्रार्थी को झूठे मुकदमें में फँसाने की धमकी देने लगी और जब प्रार्थी ने F.I.R. दर्ज कराने की बात कही तो वह रेप के झूठे, फर्जी मुकदमें में फॅसाकर जेल भेजवाने की धमकी देने लगी तो प्रार्थी अपने पिता जी के समझाने बुझाने पर वादिनी मुकदमा के खिलाफ मोबाइल छीन लेने की F.I.R. दर्ज नहीं करायी थी। उसके बाद प्रार्थी वादिनी मुकदमा से कभी सम्पर्क नहीं किया, लेकिन वादिनी मुकदमा लोगों के चढ़ाने–बढ़ाने पर दिनांक 12.12.2025 को प्रार्थी के खिलाफ एक झूठा प्रार्थना पत्र देकर एक मुकदमा संख्या–592/2025 अन्तर्गत धारा–352,351 (3) BNS व 67A सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के तहत झंगहा थाने में मामला पंजीकृत करा दिया जिसकी जानकारी प्रार्थी को नहीं हो सकी। दिनांक 05.02.2026 को अचानक झंगहाँ थाने की पुलिस प्रार्थी की दुकान पर आयी और प्रार्थी को बिना कुछ बताये झंगहा थाने पर ले आयी और धाराओं की बढ़ोत्तरी कर प्रार्थी को जेल भेज दिया। वादिनी मुकदमा शादी सुदा महिला है और उसके दो बच्चे भी हैं। वह अपने पति से बिना तलाक लिए झंगहा में किसके मकान में रहती है उसका न तो अपने मायके से सम्बन्ध ठीक है और न ही उसका अपने पति और अपने ससुराल से अच्छे ताल्लुकात हैं। वादिनी मुकदमा स्वतंत्र एवं स्वछन्द महिला है उसने जान बूझ कर प्रार्थी की उधारी न चुकाना पड़े इसलिए प्रार्थी के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज कराया था। जबकि वादिनी मुकदमा के तहरीर और 180 BNSS के बयान में काफी विरोधाभाष है। प्रार्थी ने कभी भी वादिनी मुकदमा का न तो कोई वीडियो वायरल किया है और न ही जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है और न ही उसके साथ कभी किसी तरह का अनैतिक सम्बन्ध ही स्थापित किया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी दिनांक 05.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उक्त समस्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है, आवेदक/अभियुक्त को यदि जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत का दुरूपयोग करेगा। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ सम्बन्धित थाना पुलिस द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पर वादिनी मुकदमा को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारिरिक सम्बन्ध बनाने तथा वादिनी द्वारा शादी करने के लिए दबाव बनाने पर उसका आपत्तिजनक फोटो खींचकर व विडियों बनाकर सोशल मिडिया पर वायरल करने का आरोप लगाया गया है। वादिनी द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 बी०एन०एस० में कथन किया गया है कि " मेरी उम्र करीब 37 वर्ष है। मेरी शादी 2013 में नन्हे पासवान से हुई थी। नन्हे पासवान से मुझे एक लड़की आयशा भी है। जिसकी उम्र अभी लगभग 9 वर्ष है। मुझमें और मेरे पति के मध्य में अनबन होने के कारण शादी के 3 साल बाद ही हमारा सामाजिक अलगाव हो गया। जिसके बाद मैं अपने मायके ग्राम राजधानी मंगलपुर थाना झंगहा जनपद गोरखपुर में रहने लगी। बाजार आते जाते मेरी पहचान राजधानी चौराहे पर सोने चांदी व बर्तन की दुकान चलाने वाले दीपक वर्मा से करीब 6 साल पहले हुई थी। जिसके बाद हम दोनो के बीच बातचीत शुरु हुई। जिसके बाद वो हमारे घर आने जाने लगे। मैं पार्लर का काम करती हूँ, जिसके लिए मैने झंगहा चौराहे पर कमरा लेकर रहने लगे। जहाँ पर दीपक वर्मा हमारे साथ रहने लगे और कभी कभी अपने घर जाते आते रहते थे। हमारे बीच में शारीरिक संबंध भी था। हम जब भी उससे शादी के लिए कहती तो कहता था कि माँ पापा को मना लें फिर शादी कर लूँगा। इसी तरह से कहकर टाल देता था। दीपक वर्मा से मेरी एक 4 साल की पुत्री दिशा भी है। बेटी दिशा के होने के बाद भी जब शादी के लिए कहते तो टाल देता था। उसने हमारे बीच के संबंध के विडियो भी बना लिया था और जब भी शिकायत दर्ज करने के लिए कहते तो उसे वायरल करने की धमकी देता था और कहता था कि अगर पुलिस में शिकायत दर्ज की तो तुम्हे और तुम्हारी बेटी दिशा को खत्म कर देगें। दिनांक 12.12.2025 को जब गुस्से में मैने उससे शादी के लिए कहा और जिद करने लगी तो मुझे मारा और कहने लगा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। तुमने खुद को देखा है। तुम पासी की जात हो तुमसे कौन शादी करेगा। जब मैने थाने में प्रार्थना पत्र दियो तो दीपक वर्मा ने मेरी अश्लील विडियों फेसबुक पर पोस्ट कर वायरल कर दिया। जिसका पूरा विडियों और स्क्रीनशाट भी मेरे पास है।" वादिनी द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 183 बी०एन०एस० में कथन किया गया है कि " मैं अपने पति को छोड़ चुकी हूं। मेरी एक बेटी है। दीपक वर्मा से मेरी 5 साल से जान पहचान है। वह शादी का प्रस्ताव रखा, बोला शादी करेगा और फिर मेरा उसका शारीरिक संबंध बन गया। मुझे लगा शादी करेगा इसलिए मैंने हां बोला था पर शादी नहीं किया और शारीरिक संबंध बनाता रहा। शादी नहीं कर रहा था तो मैंने मना किया पर जबरदस्ती आता था और संबंध बनाता था। 4 साल की बेटी होने के बाद भी शादी नहीं किया। मुझे बोलता था कि तुम पासी जाति की हो इसलिए शादी नहीं करूंगा, मैं वर्मा हूं मेरी जाति खराब

हो जाएगी तुमसे शादी करने से। मुझे पता नहीं था कि मेरा अश्लील वीडियो उसके पास है। मैं सीओ साहब के यहां रिपोर्ट लिखाने गई तो तो उसने फेसबुक पर मेरा वीडियो वायरल कर दिया। मुझे मारता पीटता भी है। चोट के निशान चेहरे पर हैं और सर फूट गया था। धमकी देता था कि थाने जाओगी तो तुम्हें जान से मार देंगे। जब हम थाने गए तो मेरा वीडियो वायरल कर दिया। मुझे और मेरी बेटी को मारने की धमकी देता है मेरा दो–तीन अबार्शन भी कर चुका है, गाली गलौज करता था।।" प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र पूर्ण किया जा चुका है, कोई विवेचना शेष नही है। वादिनी मुकदमा वालिग है तथा शादी–शुदा है। उसके दो बच्चे है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादिनी ने सहमति से ही अभियुक्त से सम्बन्ध बनाया है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 05–02–2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर विचार व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **दीपक वर्मा** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र (**संख्या–540/2026**) स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु0 1,00,000/–(एक लाख) रूपये का निजी बंधपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभूं तथा इस आशय का अंडरटेकिंग कि वह भविष्य में प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या जरिये अधिवक्ता उपस्थित होता रहेगा, विचारण में सहयोग करेगा एवं गवाह के आने पर कोई स्थगन नहीं लेगा, दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(प्रवीण कुमार सिंह–द्वितीय)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर
I.D. No.–UP6051

Digitally signed by PRAVEEN KUMAR SINGH
Date: 2026.03.25 17:26:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court